न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 214/2016 **दायरा दिनांक : 18.11.2016**

उनवान

मांगीलाल आत्मज चुन्नीलाल, जाति मैहर, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम पांच्याखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्री जगदीश आत्मज श्री बापूलाल, उम्र 44 वर्ष, जाति लोधा निवासी ग्राम पांच्याखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— घासी लाल आत्मज मांगीलाल, जाति मेघवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम पांच्याखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या 131/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम छत्रपुर, तहसील पचपहाड में जमाबंदी संख्या नयी 132 पुरानी 125 में आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 373 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 559 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 573 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल 5 किता की 9 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादी और उसके परिवार के सदस्यों के शामलाती खाते में दर्ज है । इसमें से खसरा नम्बर 573 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के बारे में यह दावा पेश किया जा रहा है । आराजी शामलाती खाते की है जिस पर वादी का कब्जा विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है । इसके आधे हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 ने एक वर्ष पूर्व जून 2010 में जबरन कब्जा कर लिया था और जब वादी ने कब्जा छोडने के लिए कहा तो कब्जा छोडने से इंकार कर दिया । प्रतिवादीगण को कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली की डिक्री पारित की जाये । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.07.2015 को लोक अदालत में दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.07.2015 को लोक अदालत में समझौते के आधार पर निर्णय पारित किया है उसके उपरान्त दिनांक 29.06.2016 को दिनांक 03.07.2015 की डिक्री में संशोधन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से राजीनामा के प्रिन्टेट आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये । प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो चुकी थी फिर भी जबरन हस्ताक्षर करवा लिए हैं । प्रतिवादी नम्बर 2 के जवाब के लिए पत्रावली नियत थी । उनका जवाब नहीं लिया गया ।

अपीलांट को बिना सूचना के संशोधित आदेश पारित किया है । संशोधन आदेश 11 माह बाद बिना विधिक प्रक्रिया के पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दो माह बाद अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा दी गई नकल दिनांक 26.07.2016 को प्राप्त हुई और रूपयों का बन्दोबस्त करने के उपरान्त अपील पेश की गई । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये हैं । डिक्री में खसरा नम्बर गलत अंकित किया है । संशोधित आदेश जारी करने की कोई सूचना नहीं दी है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । निर्णय विधि विरूद्ध हे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित हुआ है । लिपिकीय त्रुटि का संशोधन किया

गया है । निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 03.07. 2015 को वादी जगदीश, प्रतिवादी नम्बर 1 घासीलाल और प्रतिवादी नम्बर 2 मांगी लाल तीनों उपस्थित हुए हैं । पत्रावली पर एक राजीनामा सलंग्न है जिसमें तीनों पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं । इस राजीनामे को पीठासीन अधिकारी के द्वारा तस्दीक किया गया है । राजीनामे में यह अंकित है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की पैमाइश कराये जाने पर यदि प्रतिवादीगण के कब्जे में पायी जाएगी तो उसको हम छोड देगे । इसके उपरान्त दिनांक 29.06.2016 की आज्ञा से खसरा नम्बर 173 के स्थान पर 573 अंकित किया गया है ।

जहां तक राजीनामे के आधार पर प्रकरण के निस्तारण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने जो राजीनामा तस्दीक किया है उसमें वादी जगदीश, प्रतिवादी नम्बर 1 घासी लाल, प्रतिवादी नम्बर 2 मांगी लाल के द्वारा निष्पादित राजीनामे को पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया है । अब वादीगण अपीलीय न्यायालय में यह कथन नहीं कर सकते हैं कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये गये थे इस कारण यह राजीनामा उनके द्वारा निष्पादित नहीं माना जाये । यदि अपीलांट ऐसा महसूस करते हैं कि उनके द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये

गये थे तो इस बाबत वो अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि परीक्षण न्यायालय डिक्री के रूप में कोई कन्डीशनल आर्डर जारी नहीं कर सकता है । अधीनस्थ नयायालय को चाहिए कि वो पैमाईश रिपोर्ट तहसील से प्राप्त करे और प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा पाये जाने की स्थिति में बेदखली की स्पष्ट डिक्री पारित करें । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की पैमाईश रिपोर्ट तहसील से प्राप्त कर पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । यदि अपीलांट ऐसा महसूस करते हैं कि उनके द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये थे तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा